आज्ञा विस्तृत रूप से

20/8/7

पत्रावली पेश -

किशन लाल बनाम कालू

251/2020

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष टिप्पणी
	21/10/22	पत्रावली पेश हुई। वकील भारीमल उपस्थित। प्रकरण में दिनांक 30/3/2022 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई थी। डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार जारी की गई। तहसीलदार सांगानेर द्वारा उनके पत्रांक मु.अ./डिक्री/2022/8142 दिनांक 20/9/22 को अवगत करवाया गया कि मौके पर आवासीय सोसायटी द्वारा कॉलोनी काटी जाकर प्रस्ता बाउण्ड्री वाल निर्मित होने के कारण अतिक्रमण रिपोर्ट तैयार किया जाना संभव नहीं है। पत्रावली तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया गया अवलोकन करने पर पाया कि वाद स्थायी व स्थाई निषेधाज्ञा का है बिना अतिक्रमण रिपोर्ट प्रकरण का निस्तारण नहीं किया जा सकता था। वादी का वाद कोर्ट पर आवासीय सोसायटी द्वारा कॉलोनी काटी जाकर प्रस्ता बाउण्ड्रीवाल निर्मित होने के कारण अतिक्रमण रिपोर्ट तैयार किया जाना संभव नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फोरसल समाप्त की जाए से कम हो वाद लागत सहित खारिज हो।	

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ekta Karnani
Date: 2023.01.13 16:03:35 IST
Reason: SelfAttested